केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क- bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :49 अंक 87 रविवार 18 अक्टूबर 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

महागौरी : अलौकिक सिद्धियां देती हैं मां दुर्गा की आठवीं शक्ति...

नवरात्रि में आठवें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है।

अष्टवर्षा भवेद् गौरी यानी इनकी आयु आठ साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं। इसीलिए उन्हें श्वेताम्बरधरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है इसीलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है इनको।

इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बॉये हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है।

इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया। इसीलिए ये महागौरी कहलाई।

ये अमोघ फलदायिनी हैं और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कल्मष धुल जाते हैं। पूर्वसंचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन–अर्चन, उपासना–आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं।

एक नजर

डीएम ने किया मतदाता सूची अभियान का निरीक्षण

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद में निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत शनिवार को आयोजित विशेष कैंप में जिलाधिकारी श्रीमती कृत्तिका ज्योत्स्ना ने रुधौली विधानसभा क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय, रुधौली कला स्थित मतदेय स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने मतदेय स्थल पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) की उपस्थिति, आवेदन प्रक्रिया तथा पात्र नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। बीएलओ निर्धारित समय पर उपस्थित रहकर नागरिकों के आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दें तथा प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक पात्र नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण है। इसलिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं। साथ ही, जिन नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे निर्धारित प्रपत्र भरकर आवेदन करें, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति अपने मताधिकार से वंचित न रहे। इस दौरान उप जिलाधिकारी रुधौली अहमद फरीद खान सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

शिक्षा के घोषित दुश्मन हैं समाजवादी- योगी

लखनऊ (आभा)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा और युवाओं के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। लखनऊ में शिक्षक–स्नातक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवादियों को शिक्षा का घोषित दुश्मन बताया। योगी ने आरोप लगाया कि सपा के शासनकाल में युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया गया और शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने सपा और शिक्षा के रिश्ते की तुलना नदी के दो ऐसे छोरों से की, जो कभी नहीं मिल सकते। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि अगर समाजवादी शिक्षा के लिए कुछ करने की बात करते हैं तो यह ऐसा है, जैसे कोई मगरमच्छ नदी किनारे आकर कहे कि मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, मैं सुरक्षित उस पार पहुंचा दूंगा। उन्होंने आरोप

लगाया कि समाजवादी युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा करने और शिक्षा की ऐसी–तैसी करने वाले हैं।

मुख्यमंत्री ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि 'सैफई सिंडिकेट' नौकरी में सेंध लगाता था। उनके मुताबिक, 2017 से पहले प्रदेश में उत्सव के बजाय उपद्रव का माहौल था। उन्होंने कहा कि आज शारदीय नवरात्रि में आयोजन हो रहे हैं और रामलीलाएं चल रही हैं। योगी ने दावा किया कि प्रदेश में अब उपद्रव नहीं, उत्सव का माहौल है और बेटियां सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करता है तो पुलिस अगले चौराहे पर उसका इलाज कर देती है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बनने से निवेश बढ़ा और इसके साथ रोजगार के अवसर भी पैदा हुए।

सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने साढ़े नौ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, जबकि निजी क्षेत्र में निवेश के जरिए 65 लाख युवाओं को रोजगार मिला है।

6 बेटियों की शादी के लिये टीचर्स सेल्फ केयर टीम ने किया चेक का वितरण

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शिक्षकों के हित में काम करने वाली टीचर्स सेल्फ केयर टीम की ओर से जरूरतमंद शिक्षकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने का अभियान जारी है। इसी क्रम में शनिवार को कप्तानगंज ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) पर सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। टीम के जिला संयोजक प्रमोद कुमार ओझा ने बताया कि जिले के छह लाभार्थियों को 51–51 हजार रुपये की सहायता राशि के चेक बेटियों की शादी के लिये दिए गए। इस तरह कुल 3 लाख 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता वितरित की गई।

लाभार्थियों में छेदी प्रसाद, प्रेम पुजारी, किरन, मजहर आलम, वृजेश कुमार ओझा, प्रकाश कुमार गौतम को चेक दिया गया।

मण्डल सह–संयोजक राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि टीम का उद्देश्य जरूरत के समय शिक्षकों और उनके परिवारों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है, ताकि कठिन परिस्थितियों में उन्हें सहारा मिल सके।चेक वितरण के दौरान जिला कोषाध्यक्ष दिलीप कुमार चौधरी, लक्ष्मण पाल, रवीन्द्र मौर्य, अकील गिरि, अशोक कुमार, संजय मिश्रा, घनश्याम तिवारी, के.पी. आनंद, एआरपी भैया प्रकाश, राकेश कुमार चौहान, कन्यादान प्रभारी अवधेश कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

मेधा के धरने को पूर्व आईपीएस जुगुल किशोर ने दिया समर्थन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

–यूजीसी के नये कानून की वापसी करे सरकार

बस्ती। मेधा पार्टी द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार, यूजीसी के नये कानून की वापसी सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर गांधीकला भवन परिसर में बापू प्रतिमा के निकट चल रहा धरना शनिवार को 55 वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व आईपीएस जुगुल किशोर ने समर्थन देते हुये कहा कि छात्रों को जाति, धर्म के दायरे में बांटना अनुचित है। बेमुल प्रकरण की चर्चा करते हुये जुगुल किशोर ने कहा कि इसे मानक नहीं मानना चाहिए। अच्छा हो कि सरकार यूजीसी के नये कानूनों पर पुनर्विचार कर उसे वापस ले लेना चाहिये।

मेधा पार्टी के केन्द्रीय प्रवक्ता दीन दयाल त्रिपाठी ने कहा कि 55 दिन के लम्बे धरने के बावजूद अभी तक केन्द्र सरकार के स्तर पर कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया। उन्होने पूर्व आईपीएस जुगुल किशोर को 55 दिन से चलाये जा रहे धरने के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुये मेधा के उद्देश्यों की जानकारी दी।

मेधा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पं. सुनील भट्ट ने कहा कि सरकार छात्रों को जाति, धर्म के ढांचे में बाटने का षड्यंत्र बंद करे और मनमाने कानून को वापस ले।

धरने के 55 वें दिन मुख्य रूप से बापू प्रतिमा के निकट धरना देने वालों में मुख्य रूप से उमेश पाण्डेय मुन्ना, प्रशान्त पाण्डेय, विशाल सिंह, दीपक शुक्ला, वृजेश द्विवेदी, अजय कुमार चौधरी, राहुल त्रिपाठी, विपुल सिंह, कृष्ण कुमार पाठक, गौरीशंकर त्रिपाठी, आदित्य नरायन त्रिपाठी, सुयश पाठक, दिव्यांश पाण्डेय, निखिल पाण्डेय, सन्तोष प्रधान, गुड्डू मिश्र, प्रमोद उपाध्याय, वृजेश कुमार पाण्डेय, वृहस्पति त्रिपाठी, उदय पाण्डेय, कृपाशंकर तिवारी के साथ ही मेधा के अनेक पदाधिकारी, सदस्य और विभिन्न संगठनों के लोग शामिल रहे।

अभिजीत दीपके जमानत पर रिहा

नई दिल्ली (आभा)। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपको को बड़ी राहत मिल गई है। विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इससे पहले कनॉट प्लेस में प्रस्तावित 'लहरा दो तिरंगा' मार्च से पहले एहतियातन हिरासत में लिया गया था। कोर्ट ने उन्हें शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरने के बाद रिहा करने का आदेश दिया है। अभिजीत दीपके को बॉन्ड भरने के बाद रिहा कर दिया गया जिसके

बाद वह एनसीपी–एससीपी के प्रवक्ता अनीश गवांडे के आवास भी पहुंच गए। अभिजीत दीपके दिल्ली में यहीं रुके हुए हैं।

पुलिस ने बताया कि दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत हिरासत से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दीपके को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126 और 170 के तहत शांति भंग करने के एक नए मामले में गिरफ्तार किया गया था।

समाधान दिवस में 8 मामले निस्तारित

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को आयोजित होने वाले सम्पूर्ण समाधान दिवस की कड़ी में माह अक्टूबर के तृतीय शनिवार को जिलाधिकारी श्रीमती कृत्तिका ज्योत्स्ना की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस तहसील रुधौली में सम्पन्न हुआ।

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने भी सुनवाई करते हुए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि थानों से संबंधित मामलों को तत्परता से निस्तारण करायें। उप जिलाधिकारी अहमद फरीद खान ने बताया कि सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 56 मामले प्राप्त हुए, जिसमें से 08 का मौके पर निस्तारण किया गया। इसमें राजस्व विभाग 27, पुलिस 03, विकास 04, पूर्ति 9, समाज कल्याण के 2, विद्युत के 4, बैंक के 1, चकबन्दी के 2, नगर पंचायत 04 मामलें आये।

सम्पूर्ण समाधान दिवस में सीएमओ डा. राजीव निगम, पीडी आनन्द कुमार गुप्ता, डीडीओ सुशील कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक कृषि अशोक कुमार, कृषि अधिकारी बी. आर. मौर्या, मत्स्य अधिकारी संदीप वर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रेखा गुप्ता, डीएसओ विमल शुक्ला, डीआईओएस संजय सिंह, डीएचओ अरूण त्रिपाठी, एलडीएम आर.एन. मौर्य तथा जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

विधायक अजय सिंह ने परसरामपुर में रखी विकास की आधारशिला

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। हर्रैया विधानसभा क्षेत्र में विकासखंड परसरामपुर परिसर में 5 करोड़ 92 लाख 29 हजार रुपये की लागत से बनने वाले आवासीय भवन का शनिवार को विधायक अजय सिंह ने शिलान्यास किया। भूमिपूजन के साथ निर्माण कार्य की आधारशिला रखी गई। शिलान्यास के अवसर पर विधायक ने कहा कि हर्रैया विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। परसरामपुर में बनने वाला यह आवासीय भवन केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि क्षेत्र में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका लाभ कर्मचारियों के साथ आमजन को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि हर्रैया का विकास ही हमारा संकल्प है और क्षेत्र की जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास कार्यों को निरंतर गति दे रही है। उन्होंने कहा कि हर्रैया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक हिस्से तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। जनसुविधाओं का विस्तार, मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था और क्षेत्र का संतुलित विकास उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है।

–5.92 करोड़ की लागत से बनेगा आवासीय भवन

कार्यक्रम में आशुतोष प्रताप सिंह, उमेश मद्धेशिया, बृजेश मिश्र, विनय शंकर मिश्र, श्रवण तिवारी, अजय तिवारी, राज दत्त शुक्ल, श्रीश पाण्डेय, संदीप सिंह, बबलू पाण्डेय, कौशलाधीश पाण्डेय, राजन सिंह, घनश्याम तिवारी, संतोष पांडेय, जवाहर जायसवाल, सत्येंद्र सिंह, लकी जायसवाल, दुर्गेश मिश्र, संतोष गौतम, पंकज मिश्रा, विनोद गुप्ता, राम ललित पाण्डेय, वीरू सिंह, बीकू सिंह, बड़े सिंह, निर्मल सिंह, सरदार सिंह, सुधांशु पाण्डेय, रघुनाथ सिंह, आलोक सिंह, रंजय कनौजिया, लालमणि कनौजिया, आजाद गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की उपस्थिति रही।

अपने अधिकारों के लिए एकजुट हो बहुजन समाज–वामन मेश्राम

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

–बहुजन मुक्ति पार्टी के मण्डलीय जनसभा में गूंजा जाति आधारित जनगणना, बैलेट पेपर से चुनाव का मुद्दा

बस्ती। राजकीय इण्टर कॉलेज के मैदान में शनिवार को बहुजन मुक्ति पार्टी की मंडल स्तरीय विशाल जनसभा संपन्न हुई। जनसभा में बस्ती मंडल के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही अन्य जिलों से भी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नई दिल्ली के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम ने की। जनसभा में बहुजन समाज की एकजुटता, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना, ईवीएम और आगामी विधानसभा चुनाव सहित विभिन्न मुद्दों पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे।

जनसभा को संबोधित करते हुए वामन मेश्राम ने कहा कि बहुजन समाज को अपने अधिकारों के लिए एकजुट रहना होगा। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन मुक्ति पार्टी को समर्थन देने की अपील करते हुए कहा कि महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने और उनके मिशन को मजबूत करने के लिए संगठित होकर काम करना जरूरी है। उन्होंने ईवीएम वोटिंग मशीन को लेकर भी विरोध जताया और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने ओबीसी की जाति आधारित जनगणना तथा देश में सभी जातियों की जनगणना कराए जाने की मांग को प्रमुखता से उठाया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल ने कहा कि बहुजन समाज के लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन मुक्ति पार्टी को वोट देने की अपील की। साथ ही वामन मेश्राम के नेतृत्व में ओबीसी समाज के हितों को लेकर चलाए जा रहे आंदोलनों का उल्लेख करते हुए समाज के लोगों से इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने का आह्वान किया।

जनसभा का उद्घाटन पूर्वांचल जोन प्रभारी विजय प्रताप विक्रम चौहान ने किया। पूर्वांचल जोन अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा आरके आरतियन ने कहा कि एकजुटता, निरन्तर संघर्ष से ही समस्याओं का हल निकलेगा।

कार्यक्रम का संचालन बहुजन मुक्ति पार्टी के मंडल अध्यक्ष हृदय गौतम और उदय राज विद्यार्थी ने किया।

जनसभा में विशिष्ट अतिथि के रूप में आनन्द कुमार गौतम, आरके आनंद, रिफाकत अली, आरके गौतम और चंद्रिका प्रसाद ने भी अपने विचार रखें। वक्ताओं ने बहुजन समाज से एकजुट रहने, वामन मेश्राम द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करने तथा बहुजन मुक्ति पार्टी को मजबूत बनाने का आवाहन किया।

कार्यक्रम में बुद्ध प्रिय पासवान, ठाकुर प्रेम नंदवंशी, बुद्धेश राना, नीलू निगम, अमरजीत आर्य, चंद्र प्रकाश गौतम, मोहम्मद अजीम, सुनील निषाद, राम अवतार यादव, राम सुमेर यादव, मनोज प्रताप यादव, राधेश्याम बौद्ध, बीएल राना, गिरधारी लाल, सुग्रीव प्रसाद चौधरी, कनक लता पटेल, मौलाना गुलाम जिलानी, राम अवतार पासवान, सीताराम भारती, संजय कुमार, सुनीता निषाद, सोनी गौतम, दीपक आर्य, राहुल मद्धेशिया, सूर्यभान चौरसिया, हरिश्चंद्र भास्कर, अनिल कुमार, जगदीश चौधरी और सुनील यादव सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जनसभा के दौरान वक्ताओं ने बहुजन समाज के अधिकारों, सामाजिक एकजुटता और राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने पर जोर दिया।

डायट में दो शैक्षिक कार्यक्रमों का समापनः दक्षता नवाचार और बेहतर विद्यालय प्रबन्धन पर जोर

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में शनिवार को दक्ष हस्तपुस्तिका आधारित तीन दिवसीय प्रशिक्षण तथा दो दिवसीय नवाचार एवं बेस्ट प्रैक्टिसेज उन्मुखीकरण कार्यशाला का समापन हुआ। दोनों कार्यक्रमों में विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रभावी प्रबंधन और शिक्षण प्रक्रिया को नवाचारपूर्ण बनाने पर जोर दिया गया।

माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं प्रधानाध्यापकों के लिए आयोजित दक्ष हस्तपुस्तिका आधारित प्रशिक्षण में विद्यालय नेतृत्व, लक्ष्य निर्धारण, वित्तीय प्रबंधन, शैक्षिक नवाचार, सामुदायिक सहभागिता, अंतरविभागीय समन्वय, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण जैसे विषयों पर चर्चा की गई।समापन समारोह को संबोधित करते हुए डायट प्राचार्य संजय शुक्ल ने कहा कि प्रशिक्षण की वास्तविक सफलता प्राप्त ज्ञान एवं कौशल को विद्यालयों में प्रभावी ढंग से लागू करने में है। उन्होंने प्रधानाचार्यों से विद्यालयों को केवल प्रशासनिक इकाई न मानकर शैक्षिक परिवर्तन और नवाचार का

केंद्र बनाने का आह्वान किया। प्रशिक्षण की नोडल अधिकारी डॉ. ऋचा शुक्ला ने बताया कि विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों ने अपने व्यावहारिक अनुभव साझा किए। इनमें डॉ. रविनाथ, डॉ. अश्विनी कुमार श्रीवास्तव, आफताब आलम, शशि दर्शन त्रिपाठी, अमन सेन, डॉ. ऋचा शुक्ला, इंद्र बहादुर वर्मा और योगेश शुक्ल शामिल रहे। प्रशिक्षण को सहभागी एवं समस्या–समाधान आधारित बनाने पर विशेष बल दिया गया। वहीं शिक्षकों के लिए आयोजित दो दिवसीय नवाचार एवं बेस्ट प्रैक्टिसेज उन्मुखीकरण कार्यशाला में शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने, नवीन शैक्षिक गतिविधियों को अपनाने और विद्यालयों में बेहतर कार्यप्रणालियों के प्रयोग पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण के नोडल डॉ. गोविन्द प्रसाद ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षकों को उपयोगी नवाचारों एवं बेहतर शिक्षण पद्धतियों से परिचित कराना रहा। दोनों कार्यक्रमों के समापन पर प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं को उपयोगी बताते हुए कहा कि इनसे विद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता और प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। दक्ष हस्तपुस्तिका आधारित प्रशिक्षण के प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र वितरित किए गए।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 18 अक्टूबर 2026 रविवार

सम्पादकीय

इलाज के नाम पर मनमानी की मजबूरी

अक्सर मरीजों द्वारा उपचार के दौरान मनमाने दाम वसूलने और कीमतों में पारदर्शिता के अभाव के आक्षेप लगाये जाते रहे हैं। ये केवल पांच सितारा अस्पतालों के संदर्भ में ही नहीं है, क्लिनिकों,सरकारी अस्पतालों में उपचार के दौरान उपचार खर्च में पारदर्शिता के अभाव का जिक्र होता है। जो अकसर कमजोर वर्गों व निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों के लिये रोग से बड़ा सिरदर्द बन जाता है। इस समस्या के मद्देनजर ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अस्पतालों और क्लीनिकों में स्वास्थ्य सेवाओं के शुल्क प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएं। निस्संदेह, इसे सरकार की ओर से एक अधिक पारदर्शी और मरीजों के अनुकूल व्यवस्था बनाने की दिशा में यह स्वागत योग्य कदम कहा जा सकता है। अकसर देखने में आता है कि इलाज के लिये आने वाले मरीजों को उपचार में होने वाले खर्च की स्पष्ट जानकारी नहीं होती। इसमें दो राय नहीं कि परामर्श शुल्क, जांच यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट, इलाज की प्रक्रियाओं और अस्पताल में उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी होने से मरीजों को सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। साथ ही वे अचानक सामने आने वाले वित्तीय बोझ से बच सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मुख्य सचिवों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। दरअसल, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स(केंद्र सरकार) नियम 2012 के तहत अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के लिये यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपनी सेवाओं और सुविधाओं के शुल्क को ऐसी जगह प्रदर्शित करें,जहां मरीज व उनके तिमारदार आसानी से देख सकें। सेवाओं व सुविधाओं की फीस अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में लिखी होनी चाहिए। हालांकि, इससे बचाव के को लेकर सरकारी व निजी अस्पतालों के संचालकों की दलील है कि उपचार की कीमतों की तय सीमा निर्धारित किए जाने से उपचार की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

दरअसल, कई प्राइवेट अस्पताल व क्लिनिकों के संचालक इन निर्देशों को लागू करने के बाबत तमाम तरह के किंतु—परंतु गिनाते हैं। उनकी दलील है कि इन नियमों को लागू करने से उपचार की आर्थिक व्यवहार्यता कमजोर हो सकती है। जिसके चलते उपचार की परिचालन लागत, बुनियादी ढांचे और क्लिनिकल विशेषज्ञता में अंतर को नजरअंदाज किया जा सकता है। निस्संदेह, इन चिंताओं पर विचार तो जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन इन्हें कीमतों से जुड़ी जरूरी जानकारी छिपाने का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इसमें दो राय नहीं कि एक अच्छी सुविधाओं वाले प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल की लागत संरचना में अंतर होना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी, मरीजों को इलाज के लिये सहमति देने से पहले यह जानने का अधिकार तो होना ही चाहिए कि उनकी जेब कितनी ढीली होने वाली है। इसके साथ ही देश में मेडिकल या आयुष वीजा पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिये केंद्र सरकार का 'पैकेज रेट' पर जोर देना भी काफी महत्वपूर्ण है। जिससे विदेशी मरीजों से मनमाने चार्ज न वसूले जा सकें। देश में बढ़ते मेडिकल टूरिज्म के विस्तार के लिये भी यह जरूरी है कि उपचार की लागत में पारदर्शिता बनी रहे। इससे देश की विश्वसनीयता भी बढ़ सकती है। निश्चित रूप से उपचार शुल्क में पारदर्शिता लाने से इससे जुड़े तमाम विवाद कम हो सकते हैं। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब नियमित निरीक्षण, शिकायत दर्ज करने की सहज—सुलभ व्यवस्था और नियमों का लगातार पालन न करने पर उचित दंड के जरिये इन निर्देशों को अमल में लाना चाहिए। सही सूचना देने में देरी, गलत जानकारी और कीमतों में अनिश्चितता मरीजों की परेशानी को और बढ़ा सकती है। इसमें दो राय नहीं कि मरीजों को न केवल इलाज की सुविधा समय पर मिलनी चाहिए, बल्कि इलाज के खर्च के बारे में भी सही और भरोसेमंद जानकारी तो मिलनी ही चाहिए। यह हमारे चिकित्सा तंत्र में भरोसा बढ़ाने में सहायक हो सकता है।

एसआईआर पर उठते सवाल

इसमें कोई दोराय नहीं कि मतदाता सूची में सिर्फ वैसे लोगों का ही नाम रहना चाहिए, जो इससे संबंधित नियमावली की कसौटी के मुताबिक पात्र हों। मगर इसमें यह पक्ष भी अनिवार्य रूप से शामिल है कि पात्रता सुनिश्चित किए जाने के क्रम में किसी भी स्थिति में वैध मतदाता सूची से बाहर या वोट देने के अधिकार से वंचित न हों। अफसोस की बात यह है कि निर्वाचन आयोग की ओर से अलग—अलग राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के लिए जिस तरह का अभियान चलाया गया, वह शुरू से सवालों के घेरे में रहा।

कई राज्यों से खबरें आईं कि वहां बड़ी संख्या में वैसे लोगों का नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए, जो इसकी पात्रता की कसौटी पर सही थे। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने कई सवाल उठाए, दिल्ली सहित कई राज्यों में व्यापक आंदोलन भी हुए। मगर न तो निर्वाचन आयोग को शायद कभी एसआईआर की खामियों और उसके नतीजों के बारे में सोचने की जरूरत महसूस हुई और न ही सरकार को प्रदर्शनकारियों की मांगों पर विचार करना जरूरी लगा। अब विपक्षी दलों ने एक बार फिर इस मसले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए जाने की उम्मीद की। इसी संदर्भ में मतदाता सूची में 'बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने और एसआईआर में अनियमितताओं' के आरोपों पर तेरह विपक्षी दलों की याचिका पर शीर्ष अदालत ने गुरुवार को नोटिस जारी कर निर्वाचन आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जवाब मांगा। याचिका में एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने और अन्य गड़बड़ियों की जांच कराने के लिए एक स्वतंत्र समिति बनाने की मांग की गई है।

इस संबंध में एसआईआर की समूची प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव को लेकर भी कई सवाल उठे थे। इसी वजह से शीर्ष अदालत से एसआईआर से जुड़े सभी आंतरिक रिकॉर्ड और ब्योरे पेश करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। साथ ही सूची से हटाए गए नाम सार्वजनिक करने और नाम हटाने की वजह बताने के समांतर योग्य मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़ने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने और अंतिम फैसले से पहले राज्यों में जारी एसआईआर की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने की मांग भी की गई है।

यह समझना मुश्किल है कि देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया पर उठे सवालों को लेकर सरकार और निर्वाचन आयोग इतने उदासीन क्यों हैं, जबकि इससे संबंधित व्यापक गड़बड़ियों के तथ्य सामने आते रहे। खुद आयोग के भीतर ही सदस्यों के बीच असहमति की खबरें आईं। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल में अपीलीय न्यायाधिकरणों में पहुंचे दावों में से नब्बे फीसद से ज्यादा लोगों के नाम मतदाता सूची में फिर से बहाल किए गए। यह मामला अपने आप में एसआईआर की समूची प्रक्रिया की कसौटी पर सवाल उठाता है। मगर इस पर विचार करने के बजाय सरकार एसआईआर के मुद्दे पर उभरे विरोध प्रदर्शन को दबाने में ज्यादा सक्रिय दिखी।

देश में महकती रहे साझा संस्कृति

—विश्वनाथ सचदेव—

हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हमारा भारत बहुधर्मी है। और गर्व इस बात पर भी करना चाहिए कि अलीमुद्दीन स्ट्रीट पर बसने वाले स्वयं को हिंदू—मुसलमान से पहले इंसान समझना चाहते हैं। यही बात हर भारतीय को समझनी होगी।

सारे मोहल्ले में त्योहार का माहौल है। दुर्गापूजा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहां के युवा पूरे जोर—शोर से लगे हुए हैंकृइस संकल्प के साथ कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के इस मोहल्ले का नाम है अलीमुद्दीन स्ट्रीट। मुस्लिम—बहुल इलाके में सालों से दुर्गापूजा की तैयारियां इसी जोश—खरोश के साथ होती थीं। फिर मनमुटाव की कुछ घटनाएं हुईं और पूजा का यह क्रम टूट गया था। पांच साल पहले फिर शुरू हो गया और अब यह जोश साल—दर—साल बढ़ता ही दिख रहा है। विशेषता यह भी है कि तैयारियों में आगे बढ़कर हाथ बंटाने वालों में ज्यादातर युवा मुसलमान हैं। यहां पूजा पूरे विधि—विधान से होती हैकृ और हिंदू—मुसलमान मिलकर करते हैं!

साझा संस्कृति का यह दृश्य कोलकाता के इसी मोहल्ले में नहीं दिख रहा। आस—पास के इलाकों में न जाने कब से यह परंपरा चली आ रही है। दुर्गापूजा के अवसर पर पूरे बंगाल में ऐसे दृश्य दिख जाते हैं। हल्दिया में मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने वालों में मुस्लिम कारीगर सबसे आगे हैं। और यह काम पूरी श्रद्धा के साथ होता है। हिंदू पड़ोसियों के साथ मिल—जुलकर अल्पना सजाती मुस्लिम महिलाएं दिख जाना तो एक आम बात है। मुर्शिदाबाद में तो मां दुर्गा की पूजा की शुरुआत ही मुस्लिम परिवार के चढ़ावे से होती है।

अस्सी प्रतिशत और बीस प्रतिशत की राजनीति के माहौल में, जहां पहने हुए कपड़ों के आधार पर व्यक्ति को पहचानने की बातें की जाती हैं, वहां भाईचारे के इस तरह के दृश्य सुख देने वाले हैं। देश के अलग—अलग हिस्सों में इस तरह के दृश्य दिख जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हां, कम जरूर दिखते हैं अब ऐसे दृश्य, पर यह 'कम' भी बड़ा आश्वासन देने वाला है। बहुधर्मी देश है हमारा। शायद ही दुनिया का कोई और देश होगा, जहां सभी धर्मों को मानने वाले लोग सदियों से एक साथ रहते आए हों। और इस साथ—साथ का मतलब कोलकाता का मुस्लिम—बहुल इलाका, अलीमुद्दीन स्ट्रीट, समझा रहा है। लेकिन हकीकत यह भी है कि धार्मिक भाईचारे की यह गंगा—जमुनी परंपरा अक्सर टूटती भी दिख जाती है। कष्ट होता है यह देखकर।

सारे देश में मनाया जाता है दुर्गापूजा का यह त्योहार। पूरे दस दिन तक गरबा कार्यक्रमों की धूम रहती है। कोलकाता की अलीमुद्दीन स्ट्रीट जैसे दृश्य देश के दूसरे महानगर, मुंबई, में भी दिख जाते हैं। सभी धर्मों के मानने वालों का गरबा में हिस्सा लेना एक सामान्य बात थी। पचास साल पहले जब मैं मुंबई आया था, तो पहली बार मैंने गरबा के एक शानदार कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। आयोजन देखने वालों में मैंने मुसलमानों को भी देखा था। किसी के आने—जाने पर प्रतिबंध नहीं था। पर पिछले एक अर्से में इस परंपरा में भी बदलाव आया है। खुलेआम कहा जा रहा है कि गैर—हिंदुओं को इसमें भाग नहीं लेना चाहिए। देश के एक वरिष्ठ राजनेता ने तो स्पष्ट घोषणा कर दी है कि यदि संप्रदाय विशेष के लोगों को गरबा में भाग लेना है, तो उन्हें 'घर—वापसी' करनी होगी। ऐसे सामाजिक—धार्मिक कार्यक्रम में असामाजिक तत्वों की घुसपैठ को रोकने की बात तो समझ आती है, पर यह कहना कहां तक उचित है कि गैर—हिंदू ही असामाजिक तत्व हैं? और फिर इस बात का क्या तुक है कि 'घर—वापसी' करने वाला असामाजिक तत्व नहीं रहेगा? आवश्यकता इस बीमार सोच को बदलने की है कि धर्म के आधार पर व्यक्ति की नीयत को समझा जा सकता है।

घर—वापसी वाली यह बात अब अक्सर होने लगी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश के अधिकांश मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे, पर इस तर्क का क्या आधार है कि फिर से हिंदू धर्म अपनाने से कोई असामाजिक तत्व बेहतर इंसान बन जाएगा? धर्म के आधार पर व्यक्ति को अच्छा—बुरा इंसान मानने—बनाने की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। बरसों पहले एक फिल्म देखी थी, जिसमें एक बच्चे को गाना सुनाकर यह बताया जा रहा था कि उसकी सही पहचान उसका इंसान होना ही है'तू हिंदू बनेगा, न मुसलमान बनेगा इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा।'

यह इंसान होना ही व्यक्ति की सच्ची और पहली पहचान है। कोई भी व्यक्ति हिंदू या मुसलमान होने से पहले 'कुछ' तो था। इस 'कुछ' को समझने की आवश्यकता है। यही 'कुछ' व्यक्ति के इंसान होने की पहचान है। आज आवश्यकता इस पहचान को बनाए रखने की हैकृ 'मंदिर—मस्जिद तो बाद के हैं हम उससे पहले भी तो थेध्हम उससे पहले जो भी थेध्उस सच को जिंदा रखना है।'

आज इस 'सच' को समझने की आवश्यकता हैकृयह सच हमें बताता है कि हमारा हिंदू या मुसलमान होना, अथवा सिख या ईसाई होना, एक संयोग मात्र है। मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ, वह मेरे धर्म का आधार बन जाता है, पर व्यक्ति के इंसान होने और इंसान बने रहने की कोशिश करनी पड़ती है। जब कोई मुसलमान पूरी निष्ठा और आस्था के साथ मां दुर्गा की मूर्ति बनाता है, तो वह अपने इंसान होने का प्रमाण दे रहा होता है और यही बात उस हिंदू मां पर भी लागू होती है, जो अपने बेटे को ताजिए के जुलूस में ले जाकर उसकी बेहतरी की दुआ करती है।

बहरहाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कुछ अर्सा पहले न्यूयॉर्क के एक सम्मेलन में कहा था कि 'जो हिंदू यह मानता है कि मुसलमानों को भारत से बाहर निकाल देना चाहिए, वह हिंदू नहीं रह सकता।' उन्होंने यह भी कहा था कि हिंदू शब्द को एक विशेष भाषा, पूजा—पद्धति या जीवन—शैली तक सीमित नहीं किया जा सकता। इसमें इंसानों की तमाम विविधताएं शामिल हैं। इस विविधता का सम्मान होना चाहिए। यह विविधता इंसान की ताकत है। मोहन भागवत की किसी बात से आप असहमत हो सकते हैं, पर उनकी यह बात सोचने के लिए बाध्य करने वाली है कि भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। इस हिंदू को भारतीय कहकर हम अनावश्यक विवादों से बच सकते हैं। हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हमारा भारत बहुधर्मी है। और गर्व इस बात पर भी करना चाहिए कि अलीमुद्दीन स्ट्रीट पर बसने वाले स्वयं को हिंदू—मुसलमान से पहले इंसान समझना चाहते हैं। यही बात हर भारतीय को समझनी होगी।

'ईश्वर—अल्लाह तेरा नाम' कहने वाले गांधी ने हमें एक इंसान की तरह जीने का रास्ता दिखाया था। आज उस राह पर चलने की आवश्यकता है। यह देश का दुर्भाग्य ही होगा यदि ईश्वर के साथ अल्लाह को जोड़ने वाले गांधी को समझने के बजाय हम इस बात की शिकायत करें कि नरसी के भजन में गांधी ने यह पंक्ति क्यों जोड़ दी? हमारा भारत तो 'ईश्वर एक है' का संदेश देता है, तो फिर धर्म के नाम पर बांटने की कोशिशों को साजिश क्यों न माना जाए? यह सवाल हर सच्चे भारतीय को अपने आप से पूछना होगा।

थोक महँगाई की मार और अर्थव्यवस्था

— डॉ. सत्यवान सौरभ—

महँगाई केवल बाजार में वस्तुओं की कीमतें बढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह पूरी अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता, आम आदमी की क्रय शक्ति और सरकार की आर्थिक नीतियों की परीक्षा भी है। जब वस्तुओं के उत्पादन और थोक कारोबार के स्तर पर कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, तो उसका प्रभाव धीरे—धीरे खुदरा बाजार, घरेलू बजट और औद्योगिक गतिविधियों तक पहुँचता है। भारत में थोक महँगाई का बढ़ना इसी व्यापक आर्थिक चुनौती की ओर संकेत करता है। सितंबर 2026 में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित महँगाई दर 11.39 प्रतिशत तक पहुँचने का आँकड़ा, यदि आधिकारिक रूप से पुष्ट है, तो यह उत्पादन लागत और आपूर्ति व्यवस्था पर बढ़ते दबाव की गंभीर तस्वीर प्रस्तुत करता है। ईंधन, खाद्य पदार्थों और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि इस दबाव को और व्यापक बनाती है।

थोक मूल्य सूचकांक उन वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को मापता है, जिनका कारोबार थोक स्तर पर होता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के विपरीत, यह मुख्यतः उत्पादकों और व्यापारियों के स्तर पर कीमतों की स्थिति को दर्शाता है। थोक महँगाई में तेजी आने का अर्थ यह नहीं कि खुदरा महँगाई भी उसी अनुपात में बढ़ेगी, लेकिन यदि उत्पादन लागत लंबे समय तक ऊँची बनी रहती है, तो उसका बोझ अंततः उपभोक्ताओं तक पहुँच सकता है। थोक महँगाई के प्रमुख कारणों में ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि सबसे महत्त्वपूर्ण है। पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग केवल वाहनों में ही नहीं, बल्कि कृषि, उद्योग, बिजली उत्पादन और माल ढुलाई में भी होता है। डीजल महँगा होने से खेतों की जुताई, सिंचाई और कृषि उपज को मंडियों तक पहुँचाने का खर्च बढ़ता है। इसी प्रकार, औद्योगिक इकाइयों के लिए बिजली और ईंधन की बढ़ती लागत उत्पादन को महँगा बना देती है। जब ऊर्जा की कीमतों में लगातार वृद्धि होती है, तो उसका प्रभाव वस्तुओं के उत्पादन से लेकर उनके अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचने की पूरी प्रक्रिया पर पड़ता है।

पश्चिम एशिया में तनाव, अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में अनिश्चितता और आपूर्ति मार्गों में व्यवधान भारत जैसे आयात—निर्भर देश के लिए विशेष चुनौती पैदा करते हैं। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल का असर घरेलू उत्पादन लागत, व्यापार संतुलन और महँगाई पर पड़ सकता है। यदि ईंधन एवं बिजली की महँगाई में वास्तव में 25.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है, तो यह औद्योगिक और परिवहन लागत पर गंभीर दबाव का संकेत होगा। हालाँकि, इस विशिष्ट आँकड़े की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।

भारत में खाद्य महँगाई का संबंध केवल मांग से नहीं, बल्कि कृषि उत्पादन, मौसम, भंडारण और वितरण व्यवस्था से भी है। अनियमित मानसून, कहीं अत्यधिक वर्षा तो कहीं सूखे जैसी स्थिति, फसलों की पैदावार को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त, कीटों का प्रकोप, सिंचाई की कमी और फसल कटाई के बाद होने वाला नुकसान भी बाजार में आपूर्ति घटा सकते हैं। जब सब्जियों, अनाज, दालों और खाद्य तेलों की उपलब्धता मांग की तुलना में कम होती है, तो उनकी कीमतें बढ़ने लगती हैं। इसका प्रभाव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, होटल व्यवसाय और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर भी पड़ता है। खाद्य पदार्थों की महँगाई गरीब तथा मध्यमवर्गीय परिवारों को विशेष रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि उनकी आय का बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च होता है।

भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक बाजार से गहराई से जुड़ी हुई है। कच्चा तेल, औद्योगिक रसायन, कुछ उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक घटक और अनेक अन्य कच्चे माल अंतरराष्ट्रीय बाजार से खरीदे जाते हैं। जब इन वस्तुओं की वैश्विक कीमतें बढ़ती हैं, तो घरेलू उद्योगों की लागत भी बढ़ती है। इसे आयातित महँगाई कहा जाता है। इसके साथ रुपये का कमजोर होना समस्या को और बढ़ा सकता है। यदि डॉलर की तुलना में रुपये का मूल्य गिरता है, तो समान मात्रा में आयात करने के लिए अधिक रुपये खर्च करने पड़ते हैं। धातुओं, प्लास्टिक, रसायनों और अन्य औद्योगिक सामग्रियों की बढ़ती कीमतें विनिर्माण क्षेत्र के लिए चुनौती बन जाती हैं। आपूर्ति शृंखला में व्यवधान, माल ढुलाई की लागत और कच्चे माल की समय पर उपलब्धता में कमी भी इस दबाव को बढ़ाती है। थोक महँगाई का पहला प्रभाव उद्योगों की उत्पादन लागत पर पड़ता है। बड़ी कंपनियाँ कुछ समय तक लागत का दबाव स्वयं सह सकती हैं, लेकिन छोटे और मध्यम उद्यमों के पास ऐसा करने की क्षमता सीमित होती है। महँगे कच्चे माल और ऊर्जा के कारण उनकी लाभप्रदता घटती है। यदि वे कीमतें बढ़ाते हैं, तो मांग कमजोर हो सकती हैय और यदि कीमतें नहीं बढ़ाते, तो कारोबार की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसका असर उत्पादन, रोजगार और औद्योगिक विकास पर भी पड़ सकता है। दूसरा प्रभाव आम उपभोक्ता पर पड़ता है। उत्पादकों द्वारा बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालने से रोजमर्रा की वस्तुएँ महँगी हो सकती हैं। इससे परिवारों की वास्तविक क्रय शक्ति घटती है और वे गैर—जरूरी खर्चों में कटौती करने लगते हैं। परिणामस्वरूप बाजार में मांग कमजोर पड़ सकती है, जिसका असर उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास पर पड़ता है। महँगाई का यह दुष्चक्र लंबे समय तक जारी रहे, तो अर्थव्यवस्था की विकास गति प्रभावित हो सकती है। कृषि क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहता। डीजल, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि उपकरण महँगे होने से खेती की लागत बढ़ती है।

गरबा की थाप में जीवंत आस्था

—सोनम—

ढोल की थाप, तालियों की गूंज और रंग—बिरंगे परिधानों में थिरकते कदम। नवरात्रि में गरबा केवल नृत्य नहीं, बल्कि आस्था, स्त्री—शक्ति और सामूहिक उल्लास का उत्सव बन जाता है। मिट्टी के दीप से लेकर गोल घेरे में घूमते जनसमूह तक, इसकी हर परंपरा में जीवन का गहरा संदेश छिपा है, जो भक्ति के साथ मिल—जुलकर जीने की कला भी सिखाता है। नवरात्रि की रातें, मां दुर्गा की आराधना में सजे पंडाल, रंग—बिरंगे पारंपरिक परिधान, ढोल की गूंजती थाप और तालियों की लय पर थिरकते हजारों कदम। कहीं गरबा के गोल घेरे में घूमती आस्था है, तो कहीं डांडिया की खनक में झलकता उत्सव का उल्लास। जैसे—जैसे संगीत की गति बढ़ती है, वैसे—वैसे भक्ति और उमंग का रंग भी गहराने लगता है। इन नौ रातों में गरबा एक लोकनृत्य नहीं रह जाता, बल्कि मां आदिशक्ति की उपासना, स्त्री—शक्ति के सम्मान और सामूहिक चेतना का उत्सव बन जाता है। इसकी हर थाप में जीवन का एक फलसफा छिपा है। कदमों का आगे बढ़ना, लय के साथ ठहरना और दूसरों के साथ तालमेल बिठाना, मानो जीवन को जीने की कला सिखाता है। मिट्टी के पात्र में प्रज्वलित दीप से लेकर गोल घेरे में थिरकते जनसमूह तक, गरबा की हर परंपरा में सृजन, ऊर्जा और जीवन की निरंतरता का संदेश समाया है।

गरबा का संबंध गुजरात की लोकसंस्कृति से है, लेकिन इसकी आत्मा में मां आदिशक्ति की आराधना बसी है। नवरात्रि के नौ दिनों में देवी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती है। कहीं मंत्रों का उच्चारण होता है, कहीं भजन गूंजते हैं, तो कहीं नृत्य के माध्यम से देवी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की जाती है। गुजरात का गरबा इसी भक्ति का जीवंत रूप है। गरबा शब्द संस्कृत के 'गर्भ' शब्द से लिया गया है। पारंपरिक गरबा में छिद्रों वाले मिट्टी के पात्र में दीपक जलाकर रखा जाता है। इसे 'गर्भदीप' कहा जाता है। मिट्टी का पात्र गर्भ का और उसके भीतर जलती ज्योति जीवन तथा ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। इस प्रतीक में एक गहरा भाव छिपा है। मिट्टी के भीतर सुरक्षित लौ की तरह जीवन भी अपने भीतर सृजन और संभावना का प्रकाश लिए रहता है। गरबा में दीप के चारों ओर घूमते लोग मानो जीवन के इसी केंद्र के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। यहां गति है, लेकिन उस गति के केंद्र में स्थिरता है। कदम बदलते रहते हैं, ताल बदलती रहती है, लेकिन आराधना का भाव बना रहता है। शायद यही कारण है कि गरबा केवल देखने का नहीं, बल्कि उसमें शामिल होकर अनुभव करने का उत्सव है। भारतीय संस्कृति में नृत्य का संबंध केवल मनोरंजन से नहीं रहा। कभी यह प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का माध्यम बना, तो कभी आराध्य के प्रति समर्पण का। भगवान श्रीकृष्ण की रासलीला हो या भगवान शिव का तांडव, नृत्य में भक्ति, भाव और ऊर्जा के अलग—अलग रूप दिखाई देते हैं। इसी परंपरा में गरबा भी देवी के प्रति प्रेम, श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है।

गुजरात में मां अंबा की आराधना के साथ गरबा की परंपरा विशेष रूप से जुड़ी हुई है। नवरात्रि के दौरान स्थापित देवी के प्रतीक या गर्भदीप के चारों ओर गोलाकार घूमकर नृत्य किया जाता है। इसकी गोलाकार गति जीवन के चक्र और निरंतरता की याद दिलाती है। कोई भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, भूमिकाएं बदलती हैं और जीवन आगे बढ़ता रहता है। गरबा की लय इस परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करने का भाव भी जगाती है। गरबा में तालियों का भी विशेष महत्व है। कई पारंपरिक शैलियों में तीन तालियों का प्रयोग किया जाता है। इन तालियों को अलग—अलग धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ देखा जाता है। उनकी सामूहिक ध्वनि नृत्य में एक नई ऊर्जा भरती है। जब सैकड़ों हाथ एक साथ तालियां बजाते हैं, तो वहां किसी एक व्यक्ति की आवाज नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की सामूहिक लय सुनाई देती है।

गरबा का एक महत्वपूर्ण पक्ष उसका स्त्री—शक्ति से जुड़ाव है। नवरात्रि में देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना की जाती है। महिषासुर के विरुद्ध देवी के युद्ध की कथा इस विश्वास को सामने लाती है कि अन्याय और अत्याचार के सामने शक्ति का खड़ा होना आवश्यक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, महिषासुर को ऐसा वरदान प्राप्त था कि कोई पुरुष उसका वध नहीं कर सकता था। अपनी शक्ति के मद में उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। तब देवताओं की शक्तियों से देवी दुर्गा का प्राकट्य हुआ। देवी और महिषासुर के बीच नौ दिनों तक युद्ध चला और दसवें दिन देवी ने उसका वध किया। यह कथा बुराई पर अच्छाई की विजय के साथ उस शक्ति का भी स्मरण कराती है, जिसे लंबे समय तक कम करके आंका गया।

गरबा इसी देवी—शक्ति की आराधना का एक लोक रूप है। इसमें स्त्री को पूजनीय प्रतीक के रूप में देखने का भाव ही नहीं, बल्कि उसकी सृजनात्मकता, ऊर्जा और सामर्थ्य का उत्सव भी जुड़ा है। हालांकि, देवी की पूजा का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होता है, जब समाज अपने आसपास की स्त्रियों के सम्मान, स्वतंत्रता और अधिकारों को भी उतना ही महत्व दे। गरबा का उत्सव इस दृष्टि से एक अवसर भी है कि हम शक्ति की उपासना को जीवन के व्यवहार से जोड़कर देखें। जिस समाज में देवी के सामने सिर झुकाया जाता है, वहां महिलाओं के प्रति सम्मान भी उसी श्रद्धा का हिस्सा होना चाहिए। नवरात्रि के उत्सव में गरबा और डांडिया अक्सर एक साथ दिखाई देते हैं। संगीत, रंगीन परिधान और गोलाकार नृत्य के कारण कई लोग दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन इनकी अपनी अलग पहचान है।

गरबा में सामान्यतः तालियों, हाथों की मुद्राओं और कदमों की लय के साथ नृत्य किया जाता है। इसके पारंपरिक रूप में देवी या गर्भदीप के चारों ओर घूमना महत्वपूर्ण होता है।

प्रदेशव्यापी मांगों के समर्थन में अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन

संवाददाता–महराजगंज। प्रदेशव्यापी चार सूत्री मांगों के समर्थन में सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने शनिवार को यहां जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विरोध दिवस मनाते हुए अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। नारेबाजी के बीच अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकारों का सीधा सरोकार फरियादियों से बताते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को मांगपत्र भेजा। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरेंद्र मिश्रा व प्रभारी महामंत्री रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने प्रदेशव्यापी चार सूत्रीय मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन शुरू किया। अधिवक्ताओं की प्रदेशव्यापी मांगों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशधनिर्देश के अनुपालन के लिए बार काउंसिल आफ इंडिया, बार काउंसिल आफ उप्र एवं जनपद न्यायालय स्तर पर हड़ताल न किये जाने की अंडरटेकिंग देने का दबाव बनाने के संबंध में विचार करने, एडवोकेट एक्ट 1961 में बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा प्रस्तावित संशोधन बिल पर विचार करने, उच्च न्यायालय के द्वारा रेट संख्या 12231 सन् 2025 में अधिवक्ता विरोधी निर्णय दिये जाने के संबंध में विचार करने और अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को उप्र सरकार द्वारा शीघ्र लागू किए जाने के संबंध में विचार करने की मांग शामिल है।

इसके अलावा सिविल कोर्ट महाराजगंज के अधिवक्ताओं के लिए प्रस्तावित 35 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की मांग के लिए अधिवक्ताओं ने न्यायिक कारर्य से विरत रह कर विरोध प्रदर्शन किया।

किसान और शोषित वर्ग की चिंता करती है भाजपा –रामनाथ ठाकुर

संवाददाता–देवरिया। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार किसान, मजदूर और शोषित वर्ग की चिंता करती है। आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चावल, गेहूं व दूध में अग्रणी बना हुआ है। खेती–बाड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसान उसकी आत्मा हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय दुगनी करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। बीते दस वर्षों में किसानों की आमदनी बढ़ी है। उन्हें पचास फीसदी सब्सिडी पर उन्नतशील बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। वह शनिवार को देवरिया के पथरदेवा के आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज पर रवींद्र किशोर शाही की 44 वीं पुण्यतिथि पर आयोजित दो दिवसीय किसान मेला व चिकित्सा शिविर के शुभारम्भ में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)तय कर ऐतिहासिक काम किया है। अब किसानों के गेहूं धान या अन्य फसलों को कोई बिचौलिया औने–पौने दाम पर नहीं खरीद पाएगा। ठाकुर ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन की सरकारें आम लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों से दलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन बढ़ाने की मांग की। कहा कि करीब 80 करोड़ लोगों को निशुल्क राशन दिया जा रहा है।कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि स्वर्गीय रवींद्र किशोर शाही आमजनों के विकास के लिए सदैव तत्पर रहते थे। क्षेत्र के विकास की भावना उनमें कूट–कूट के भरी थी। उन्होंने ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख व विधान परिषद सदस्य से लेकर जनसंघ के प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर पूरा किया। उन्होंने जनसंघ के सिद्धांतों को जन–जन तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन जनता की सेवा में लगा दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आज गांव और घरों को सुविधा से लैस किया जा रहा है। किसानों के गन्ने का मूल्य 280 रुपए से बढ़ाकर चार सौ रुपए प्रति कुंतल कर दिया गया है। खाद्यान्न में प्रदेश नंबर एक पर है। देश का लगभग 22 फीसदी खाद्यान्न यूपी में पैदा हो रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने मेले में लगाए गए विभिन्न स्टालों का निरीक्षण किया। पथरदेवा के ब्लाक प्रमुख सुब्रत शाही ने अतिथियों का स्वागत किया।

पढ़ने के लिए परिजनों ने डांटा तो किशोर ने नदी में लगा दी छलांग

संवाददाता–देवरिया। पढ़ाई के लिए परिजनों की डांट से नाराज एक किशोर ने शनिवार को भागलपुर पुल से सरयू नदी में छलांग दी। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू की, लेकिन देर शाम तक उसका पता नहीं चल सका था। बताया गया कि मईल थानाक्षेत्र के पनिका बाजार के रहने वाले गफूर मोहम्मद के सबसे छोटा बेटे सेराज (17) को परिवार के लोग आए दिन पढ़ाई के लिए डांटते थे। शनिवार को भी परिवार के लोगों ने उसे समझाया तो वह नाराज हो गया और बाइक लेकर घर से निकल गया। इसके बाद वह भागलपुर पुल पर पहुंचा और बाइक खड़ी कर नदी में छलांग लगा दी।

सूचना मिलते ही मां मैरुन्निशा समेत अन्य लोग पहुंच गए। कुछ ही देर में मईल व उभांव थाने की भी पुलिस पहुंच गई और किशोर की तलाश शुरू करा दी। नाविकों के साथ ही गोताखोर भी लगाए गए हैं।

डीएम व एसपी ने बच्चों के साथ चखा मिड डे मिल

संवाददाता–देवरिया। शनिवार को रुद्रपुर समाधान दिवस में पहुंचे डीएम मधुसूदन हुलगी और एसपी अभिजीत आर शंकर ने बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मिल का स्वाद चखा।डीएम व एसपी ने रुद्रपुर पहुचने के बाद बूथों पर चल रहे विशेष मतदाता अभियान का निरीक्षण किया। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने समाधान दिवस में पहुंचकर लोगों की समस्या सुनी। दोपहर में दोनों अधिकारी कम्पोजिट विद्यालय रुद्रपुर में पहुंचे। डीएम व एसपी ने बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर एक ही प्लेट में मिड डे मिल में मीनू के अनुसार बने चावल व सब्जी खाया।

अदालती नोटिस

विपक्षी व्यक्ति के नाम नोटिस
(धारा–63 अनुसूची–5 प्रपत्र सं0–1)
न्यायालय– ए0सी0जे0एम0 द्वितीय बस्ती कोर्ट सं0–10 जिला–बस्ती
मु0नं0 1441/2026
थाना–पैकोलिया

सुभाष चन्द्र गौतम
बनाम
सुमन गौतम आदि

तारीख पेशी 23–10–2026

विपक्षी–1– सुमन गौतम उम्र 26 साल पुत्री मुन्नू गौतम 4. किरन देवी उम्र 30 साल पुत्री मुन्नू गौतम साकिनान सबना थाना खोड़रे जनपद गोण्डा विपक्षी
के नाम

चूंकि आपकी उपस्थिति धारा 223 बी.एन.एस. के अपराध का उत्तर देने के लिए आवश्यक है अतएव आपको एतत द्वारा आदेश दिया जाता है कि स्वयं/अधिवक्ता द्वारा उपयुक्त न्यायालय के समक्ष सन् 2026 ई0 के 10 मास के 23 दिवस को उपस्थित हो। ऐसा करने में त्रुटि न हो।

सन् 20 ई0 मास के दिवस को हस्ताक्षरित हो।

हस्ताक्षर
ए0सी0जे0एम0 द्वितीय बस्ती
जिला–बस्ती

धर्म का आधार प्रेम और करुणा, भेदभाव से नहीं बनेगा समरस समाज

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। रामनगरी के करतलिया बाबा आश्रम, नया घाट में शुक्रवार को सीइंग इक्वली रू एन एंथोलॉजी ऑफ प्रोग्रेसिव हिंदू वॉइसेज पुस्तक का लोकार्पण एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। वेस्टलैंड बुक्स द्वारा प्रकाशित और प्रो. अनंतानंद रामबचन व सुनीता विश्वनाथ द्वारा संपादित पुस्तक में 13 आलेखों के माध्यम से समानता, सामाजिक न्याय, धार्मिक सद्भाव और मानवीय मूल्यों को स्वर दिया गया है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि धर्म का मूल प्रेम, करुणा और मानवता है। जातिगत भेदभाव और नफरत की राजनीति से समाज में समरसता स्थापित नहीं हो सकती ।कार्यक्रम का संचालन करते हुए सुमन गुप्ता ने अयोध्या में सर्वधर्म समभाव की परंपरा पर चिंता जताई। उन्होंने राम की पैड़ी पर 1990 के दशक में 'ईश्वर–अल्लाह तेरो नाम' गाने वालों को जेल भेजे जाने का प्रसंग याद करते हुए कहा कि ऐसे वातावरण में पुस्तक पर संवाद आशा की नई किरण है।

पूर्व मंत्री पवन पांडेय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा पर धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। काशी विश्वनाथ, उज्जैन महाकाल और राममंदिर से जुड़े संदर्भों का उल्लेख करते हुए उन्होंने धार्मिक संस्थानों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने संघ से जुड़े लोगों पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए पुस्तक को धर्म के मानवीय स्वरूप को सामने लाने वाला प्रयास बताया। महंत दिलीप दास ने पुस्तक के आवरण पर अंकित अर्धनारीश्वर स्वरूप को समरसता और स्त्री–पुरुष के पूरक अस्तित्व का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा की शक्ति उसकी उदारता, विविधता और सबको साथ लेकर चलने की भावना में है। महंत राम दास ने साधु–संतों के बीच भी जातिगत भेदभाव बने रहने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि संन्यास के बाद भी जाति के आधार पर भेदभाव होना आत्ममंथन का विषय है। वहीं, स्वामी राघवेन्द्र ने लोकतांत्रिक जीवन में चंदा और चुनाव से जुड़े विवादों का उल्लेख करते हुए आरएसएस की विचारधारा पर जायोनिस्ट प्रभाव होने का आरोप लगाया। उन्होंने अयोध्या में धार्मिक सद्भाव और समावेशी चेतना को मजबूत करने की आवश्यकता बताई।स्वामी राघवेन्द्र ने कहा कि पुस्तक में शामिल 13 आलेख उन साधु–संतों और विचारकों की आवाज हैं, जो समानता, सह–अस्तित्व और जनकल्याण के पक्षधर हैं। अयोध्या की पहचान धार्मिक आस्था के साथ साझा संस्कृति और मानवीय संबंधों की विरासत से भी है। कार्यक्रम में महंत आनंद दास, महंत रामनयन दास, महंत राममनोहर दास, महंत शत्रुघ्न दास, जटा बाबा, महंत सनत्कुमार दास, महंत कन्हैया दास, सौरभ दास नागा, अंशुल दास, कुलदीप उपाध्याय, रामबख्श यादव, प्रदीप त्रिपाठी, अखिलेश पांडेय, राजीव, रामप्रीत, हरीश, महंत रामनयन, बमबम और मानस दास सहित 100 से अधिक लोग उपस्थित रहे।

अयोध्या में 'सबको समान दृष्टि से देखने' की आवाज, सीइंग इक्वली पुस्तक का लोकार्पण

शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर भाजपा ने कसी कमर, प्रदेश अध्यक्ष ने किया संवाद

संवाददाता–महराजगंज। गोरखपुर–फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी के समर्थन में पार्टी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष–केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, विद्यालय प्रबंधकों और मतदाताओं से संवाद स्थापित कर समर्थन जुटाने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची के आधार पर प्रत्येक मतदाता से व्यक्तिगत संपर्क करने और चुनाव अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षक एमएलसी चुनाव संगठन के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका अहम है। कार्यकर्ता पूरी सक्रियता और आपसी समन्वय के साथ मतदाताओं तक पहुंचें। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को शिक्षकों के बीच पहुंचाने की बात कही। उन्होंने विपक्षी दलों पर परिवारवाद और पूंजीवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार और शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने शिक्षकों के स्थानांतरण की पारदर्शी व्यवस्था को सरकार की उपलब्धि बताया।

क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने कहा कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में संगठन की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची का अध्ययन कर प्रत्येक शिक्षक मतदाता से संपर्क करने का आह्वान किया। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर कार्यकर्ता पूरी गंभीरता के साथ जुटें। प्रत्येक मतदाता तक पार्टी की नीतियों और सरकार के कार्यों की जानकारी पहुंचाई जाए। कार्यकर्ताओं से निर्धारित जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने की अपील की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष संजय पांडेय ने कहा कि कार्यकर्ता आपसी समन्वय बनाकर प्रत्येक मतदाता तक पहुंचें। उन्होंने चुनाव अभियान को मंडल और बूथ स्तर तक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। पनियरा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह, सदर विधायक जय मंगल कन्नौजिया, पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह, सहकारी बैंक चेयरमैन और पूर्व विधायक चौधरी शिवेंद्र सिंह ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वक्ताओं ने मतदाता संपर्क अभियान को गति देने और संगठन के स्तर पर बेहतर समन्वय बनाने पर जोर दिया। संचालन जिला महामंत्री प्रभाकर द्विवेदी ने किया।

इस दौरान जिला उपाध्यक्ष अजय श्रीवास्तव, जिला महामंत्री मधुर सिंह, जिला मंत्री ठाकुर रौनियार, दिनेश जायसवाल, बैजनाथ पटेल, कोषाध्यक्ष आकाश गुप्ता, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरनाथ पटेल, जिला उपाध्यक्ष संतोष सिंह,गोलू सिंह,जिला पंचायत सदस्य टुनटुन खान, त्रिभुवन वर्मा, प्रबंधक राहुल पटेल, प्रबंधक गजेंद्र त्रिपाठी, प्रमुख प्रतिनिधि इंजी. विवेक गुप्ता, प्रमुख ओमप्रकाश जायसवाल, प्रमुख प्रतिनिधि रामहरख गुप्ता, चेयरमैन उमेश जायसवाल, प्रमुख वेद शुक्ला, प्रमुख आनंद शंकर वर्मा और चेयरमैन संतोष जायसवाल, गिरजेश जायसवाल, शिक्षक निर्वाचन के जिला संयोजक अमित सिंह, प्रबंधक डॉ. बलराम भट्ट, शिक्षक त्रियुगी नारायण तिवारी, ज्योतिष मणि त्रिपाठी, प्रबंधक डॉ. आशीष मिश्रा, डॉ. शांति शरण मिश्रा, जिला महामंत्री बबलू यादव, जिला उपाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय,पूर्व जिलाध्यक्ष अरुण शुक्ला तथा पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष एवं पूर्व जिलाध्यक्ष जनार्दन प्रसाद गुप्त समेत शिक्षक और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी मंडलों के अध्यक्ष, मोर्चा एवं प्रकोष्ठों के जिला संयोजक भी बैठक में शामिल हुए।

लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की मौत मामले में तीन दिन से नेपाल सीमा पर डटी एसओजी

संवाददाता–महराजगंज। लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में फरार बताई जा रही श्रद्धा दुबे की तलाश में लखनऊ क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीम भारत–नेपाल सीमा से सटे इलाकों में लगातार जांच कर रही है। टीम पिछले तीन दिनों से सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय है। शुक्रवार को भगवानपुर और ठूठीबारी में पड़ताल की गई, जबकि शनिवार को सोनौली और खनुआ बॉर्डर के आसपास जांच किए जाने की चर्चा रही। श्रद्धा के नेपाल में संभावित ठिकाने की आशंका के बीच जांच टीम सीमावर्ती इलाकों में उसकी आवाजाही से जुड़े सुराग जुटाने में लगी है। हालांकि, उसके नेपाल में मौजूद होने या सीमा पार करने की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भारत–नेपाल सीमा पर मुख्य सड़कों के अलावा ग्रामीण संपर्क मार्गों और पगडंडियों से भी आवाजाही होती है। ऐसे में जांच टीम इन रास्तों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है या नहीं, इसे लेकर क्षेत्र में चर्चा है। सोनौली और खनुआ बॉर्डर के आसपास नेपाल जाने वाले रास्तों पर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच किए जाने की भी बात सामने आई है। हालांकि, किन स्थानों के कैमरों की फुटेज देखी गई और जांच के दौरान कोई महत्वपूर्ण सुराग मिला या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच एजेंसियों की ओर से भी अब तक इस संबंध में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। सोनौली से सटे नेपाल के बेलहिया समेत आसपास के क्षेत्रों में भारत और नेपाल के बीच नियमित आवाजाही होती है। ऐसे में सीमा से जुड़े रास्तों और गतिविधियों की पड़ताल को जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एसओजी टीम की लगातार सक्रियता से सोनौली और आसपास के सीमावर्ती गांवों में हलचल बढ़ गई है। लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में श्रद्धा दुबे की तलाश जारी बताई जा रही है। फिलहाल उसकी वास्तविक लोकेशन और सीमावर्ती क्षेत्र में की गई जांच से मिले संभावित सुरागों के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है।

इस संबंध में सोनौली कोतवाल विशाल शुक्ला ने बताया कि एसओजी की टीम आई है। जांच की विस्तृत जानकारी और सीसीटीवी फुटेज से जुड़े तथ्यों की पुष्टि संबंधित जांच एजेंसियों के आधिकारिक बयान के बाद ही हो सकेगी।

आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरा क्लाइंट आधार हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड शाखा बस्ती, ब्रान्च आफिस प्रथम तल मकान सं०–1323, मोहल्ला – पिकौरा शिव गुलाम, कॅटेश्वर पार्क के पास गांधीनगर बस्ती 272001 उ० प्र० की तरफ से सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुमन देवी पत्नी सियाराम, ग्राम – कठवतिया, पोस्ट–महुआ डाबर, सांवडीह बभनान बस्ती 272161 ने एक बैनामा 1300 वर्गफीट का स्थित गाटा सं 327 मिं, मौजा– जलालाबाद तहसील–हरैया, परगना – बस्ती पश्चिम, जिला बस्ती जिसकी चौहदी पूरब – जमीन बेचन राम, पश्चिम–जमीन मुकिर, दक्षिण – जमीन मुकिर, उत्तर – सड़क 16 फिट चौड़ा इसको बंधक रखने बैंक अथवा संस्था को प्रश्नगत सम्पत्ति में आपत्ति हो तो इस प्रकाशन के 7 दिन के अन्दर आपत्ति अधोहस्ताक्षरी के समाप्त प्रस्तुत कर दे अन्यथा यह मान लिया जायेगा कि किसी भी के उपरोक्त संस्था को बंधक रखने मे कोई आपत्ति नहीं है।

(प्रग्यांशु शुक्ला एडवोकेट)
L.G.F.–011, निचली भूतल, A1 बिल्डिंग
ब्लाक – A, सेक्टर–59 नोएडा उ०प्र०
पिन कोड–201301
मो०–8920298602

तीन दिवसीय कबीर सत्संग समारोह 20 अक्टूबर से

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। सद्गुरु श्री रामसूरत साहेब की पुण्य स्मृति में श्री कबीर धर्म मंदिर, जियनपुर चूड़ामणि चौराहा मोहबरा बाजार में 20 से 22 अक्टूबर तक तीन दिवसीय सद्गुरु कबीर सत्संग समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से संत–महात्मा, विद्वान और भजनोपदेशक शामिल होकर कबीर साहेब की वाणी और विचारों का संदेश देंगे।श्री कबीर धर्म मंदिर सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित समारोह का संचालन संत श्री हरि साहेब करेंगे। मंदिर समिति के अध्यक्ष संत श्री परीक्षा साहेब के संरक्षण में होने वाले इस आयोजन में श्रद्धालुओं को सत्संग, प्रवचन और भजन के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम चार बजे से रात आठ बजे तक चलेगा।समारोह में वाराणसी के संत प्रेम साहेब, बिहार के संत सजीवन साहेब, गुजरात के संत अचल साहेब, लखनऊ के संत दीनदयाल साहेब, छत्तीसगढ़ के संत विचार साहेब, मुक्तिशरण साहेब व घनश्याम साहेब सहित राजस्थान और अंबेडकरनगर के संत भी शामिल होंगे। संत परीक्षा साहेब ने बताया कि संत कबीर की वाणी मानवता, प्रेम, सद्भाव, समानता और सदाचार की प्रेरणा देती है। सत्संग का उद्देश्य समाज में व्याप्त कुरीतियों और आडंबरों को दूर कर आत्मज्ञान तथा मानवीय मूल्यों का प्रसार करना है। श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में शामिल होकर सत्संग का लाभ लेने की अपील की गई है।

सल्लहपुर में वारंट के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस से झड़प

संवाददाता–देवरिया। भटनी थाना क्षेत्र के सल्लहपुर गांव में गैर–जमानती वारंट के आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस और आरोपी के परिजनों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिस आधी रात को बिना महिला कांस्टेबल के घर में घुस गई, जिसके बाद घर में मौजूद महिलाओं और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक और झड़प हुई। घटना के बाद पुलिस टीम को वापस लौटना पड़ा। इस बीच पुलिस और आरोपी के परिजनों के बीच हुई झड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हिंदुस्तान इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

जानकारी के अनुसार भटनी पुलिस गैर–जमानती वारंट के तहत फरार चल रहे एक आरोपी को हिरासत में लेने के लिए उसके घर पहुंची थी। इसी दौरान आरोपी के परिजनों और पुलिसकर्मियों के बीच विवाद बढ़ गया। घर में मौजूद महिलाओं और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प होने की बात सामने आई है।

इस मामले में भटनी थानेदार पीके गुप्त के अनुसार गैर–जमानती वारंट के आरोपी को हिरासत में लेने गई पुलिस टीम के साथ आरोपी के परिजनों ने दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण पुलिस को वापस लौटना पड़ा। पुलिस की ओर से बिना महिला कांस्टेबल के देर रात घर में प्रवेश करने के आरोप को गलत बताया गया है।

बताया जा रहा है कि बिहार के एक लकड़ी कारोबारी की लकड़ी से भरी ट्रैक्टर–ट्रॉली कथित तौर पर कुछ लोगों ने पुलिस बनकर लूट ली थी। इस मामले में फरार चल रहे एक आरोपी के खिलाफ गैर–जमानती वारंट जारी हुआ था। इसी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भटनी पुलिस सल्लहपुर गांव पहुंची थी, जहां आरोपी के परिजनों के साथ विवाद हो गया ।

एक दिन की थानेदार बनीं मुक्ति तिवारी, फरियादियों की समस्याएं सुनकर दिया निस्तारण का निर्देश

संवाददाता–महराजगंज। मिशन शक्ति अभियान के तहत शनिवार को निचलौल थाने में एक अनूठी पहल देखने को मिली। सरस्वती देवी महिला महाविद्यालय, टिकुलहिया में बीएससी पांचवें सेमेस्टर की छात्रा मुक्ति तिवारी को एक दिन के लिए थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। थानेदार की कुर्सी पर बैठकर उन्होंने न केवल पुलिस की कार्यप्रणाली को करीब से समझा, बल्कि थाने पर अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे फरियादियों की शिकायतें भी सुनीं। इस पहल का उद्देश्य बेटियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता विकसित करने के साथ उन्हें पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था से परिचित कराना है।

थाना प्रभारी की जिम्मेदारी संभालते ही मुक्ति तिवारी ने थाने पर आने वाले फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने संबंधित मामलों की जानकारी लेते हुए उनके निष्पक्ष एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने महिला हेल्प डेस्क, सीसीटीएनएस कक्ष और आइजीआरएस सेल का निरीक्षण कर वहां होने वाले कार्यों की जानकारी प्राप्त की। पुलिसकर्मियों से संवाद कर उन्होंने शिकायतों के पंजीकरण, उनके निस्तारण और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को भी समझा।

प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र राय ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त, सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसे कार्यक्रम बेटियों को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे भी अपनी योग्यता और मेहनत के बल पर किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इस दौरान थाने की महिला पुलिसकर्मी नंदिनी, वंदना, संजय कुमार यादव सहित अन्य प मिशन शक्ति अभियान के तहत शनिवार को होप पब्लिक स्कूल धरमपुर में कक्षा पांच की छात्रा अंजली चौधरी को एक दिन के लिए प्रधानाचार्य बनाया गया।

इस दौरान उन्होंने उपस्थिति पंजिका, एसआर रजिस्टर और आवागमन रजिस्टर का निरीक्षण कर विद्यालय की व्यवस्थाओं को समझा।शिक्षकों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश अंजली ने बताया कि पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रधानाचार्य बनना उनका सपना है। वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से बच्चों का भविष्य संवारना चाहती हैं।

एक दिन की जिम्मेदारी मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। बेटी को प्रधानाचार्य की भूमिका में देखकर मां विद्यावती ने खुशी जताई उनके पिता मनोज चौधरी एक किसान हैं। विद्यालय की इस पहल का उद्देश्य छात्राओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना है।

डीडीयू का छात्र नेता दुराचारी घोषित, पुलिस ने 'ख' श्रेणी का हिस्ट्रीशीटर बनाया

संवाददाता—गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के सामने छात्र गुटों के बीच मारपीट के मामले में आरोपी छात्र नेता गोलू उर्फ उज्ज्वल सिंह की पुलिस ने हिस्ट्रीशीट खोल दी है। पुलिस ने उसे दुराचारी घोषित करते हुए 'ख' श्रेणी का हिस्ट्रीशीटर बनाया है। पुलिस के मुताबिक, वर्ष 2019 से 2026 तक उसके खिलाफ कैंट और महिला थाने में कुल 10 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हिस्ट्रीशीट खोलने के बाद अब पुलिस उसकी गतिविधियों पर नजर रखेगी।

22 सितंबर को दोपहर करीब 12 बजे विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के सामने दो छात्र गुटों के बीच विवाद हो गया था। कहासुनी के बाद 20 से अधिक छात्रों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। मामले में एबीवीपी के विभाग संयोजक प्रशांत त्रिपाठी ने उज्ज्वल सिंह, सतीश प्रजापति, सत्यम गोस्वामी समेत अन्य लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी। कैंट पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद उज्ज्वल सिंह ने प्रेसवार्ता कर अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को बेबुनियाद बताया था।

एसपी सिटी निमिष पाटील के अनुसार, उज्ज्वल सिंह के खिलाफ वर्ष 2019 से 2026 के बीच कैंट और महिला थाने में कुल 10 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, इनमें मारपीट, धमकी, नुकसान पहुंचाने और अन्य आरोपों से जुड़े मामले शामिल हैं। वर्ष 2023 में महिला थाने में उसके खिलाफ छेड़खानी के आरोप में भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वर्ष 2026 में दर्ज मामलों में बीएनएस की धाराएं शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, उज्ज्वल सिंह मूलरूप से आजमगढ़ के रौनापार क्षेत्र के करखिया गांव का निवासी है। वर्तमान में वह कैंट थाना क्षेत्र के सिविल लाइंस स्थित पीडब्ल्यूडी कॉलोनी के अधिकारी आवास में रहता है। एसपी सिटी ने बताया कि हिस्ट्रीशीट खोलने का उद्देश्य व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखना और कानून—व्यवस्था से जुड़े मामलों में जानकारी जुटाना है।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में 22 सितंबर को सदस्यता अभियान को लेकर चल रहे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। दो छात्र गुटों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट और हंगामा हुआ था, जिसके बाद कैंट पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले गई। मामले में एबीवीपी के विभाग संयोजक प्रशांत त्रिपाठी की तहरीर पर छात्र नेता सतीश प्रजापति, उज्जवल सिंह, सत्यम समेत अन्य के खिलाफ मारपीट, लूट और ध मकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस के अनुसार, एबीवीपी के विभाग संयोजक प्रशांत त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय परिसर में सतीश प्रजापति, उज्जवल सिंह, सत्यम और उनके साथियों ने उनके साथ मारपीट की। तहरीर में जान से मारने और बम से उड़ाने की धमकी देने के साथ 1068 रुपये नकद तथा आवश्यक दस्तावेज छीन लेने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मारपीट, लूट और धमकी देने की ध ाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, घटना की सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस विश्वविद्यालय पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर थाने ले गई। इसके बाद बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ता भी थाने पहुंच गए और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर करीब दो घंटे तक मौजूद रहे थे।

योग से लक्ष्य पाने में मिलती है मदद —प्राचार्य

संवाददाता—गोरखपुर। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के शारीरिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित सात दिवसीय योग कार्यशाला का समापन शनिवार को हुआ। योग के साथ स्वस्थ जीवन व संतुलित मन विषय पर आयोजित कार्यशाला में विद्यार्थियों को आसन, प्राणायाम, ध्यान और सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराया गया। मुख्य अतिथि प्राचार्य प्रो. ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि योग विद्यार्थियों के तनाव को कम करने और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। नियमित अभ्यास से विद्यार्थी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहतर ढंग से प्रयास कर सकते हैं। इस मौके पर कॉलेज और अखिल स्मरण फाउंडेशन के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।फाउंडेशन की कविता त्रिपाठी ने बताया कि संस्था उच्च शिक्षा, ज्ञान सृजन, शोध, नवाचार, व्यक्तित्व विकास और मानवीय मूल्यों के संवर्धन के लिए कार्य करती है। कार्यक्रम का संचालन कार्यशाला के संयोजक डॉ. अवधेश कुमार शुक्ला ने किया। इस दौरान डॉ. नितीश शुक्ला, डॉ. सुनील सिंह, डॉ. श्वास्त चंदेल, डॉ. विवेकानंद शुक्ला, डॉ. सरिता सिंह, डॉ. दीपक सिंह, आशुतोष दुबे, अभय सिंह आदि मौजूद रहे।

फंदे से लटकता मिला प्रधान प्रतिनिधि के बड़े भाई का शव

संवाददाता—संतकबीरनगर। जिले में महुली थाना क्षेत्र के गायघाट गांव में शनिवार की सुबह गांव के बाग में प्रधान प्रतिनिधि अजित कुमार सिंह के बड़े भाई मुनीब सिंह का शव पेड़ की टहनी से रस्सी के फंदे के सहारे लटकता मिला। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। देखते ही देखते गांव में तरह—तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। मौत की असल वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

क्षेत्र के गायघाट गांव निवासी मुनीब सिंह पुत्र अयोध्या सिंह का शव शनिवार सुबह घर से पूरब दिशा में करीब डेढ़ सौ मीटर दूर स्थित एक बाग में पेड़ की टहनी से रस्सी फंदे से लटकता मिला। सुबह—सुबह इस दृश्य पर नजर पड़ते ही ग्रामीणों के होश उड़ गए। सूचना मिलने पर महुली पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल की परिस्थितियों को लेकर ग्रामीणों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। चर्चा है कि शव के लटकने के दौरान पैर जमीन से सटे होने और गले में पड़े फंदे की गांठ की स्थिति को लेकर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर कुछ ग्रामीण मामले को संदिग्ध मानते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि इन चर्चाओं के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। उनका शव गायघाट गांव में घर से पूरब दिशा में करीब डेढ़ सौ मीटर दूर स्थित एक बाग में पेड़ की टहनी से लटकता मिला।

पूर्वोत्तर रेलवे

ई-ऑक्शन सूचना

वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ के द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ई ऑक्शन से सम्बन्धित सूचना।

एडमिन यूनिट/जोन : लखनऊ—पू.उ.रे.—मण्डल—वाणिज्य/पू.उ.रे., **नीलामी सूची सं./लॉट सं. : MPS-LJND-11-26, नीलामी सूची प्रकाशन तिथि :** 14.10.2026 समय 15:45 बजे, **नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट) :** 30.10.2026 समय 10:00 बजे, **नीलामी बंद करने की तिथि व समय :** 30.10.2026 समय 10:40 बजे, **नीलामी का प्रकार :** Close Ended, **वेबसाइट विवरण जहाँ पंजीकृत बोलीदाताओं द्वारा नीलामी का पूरा विवरण देखा जा सकता है :** E-Auction Module of **www.ireps.gov.in**

सहायक वाणिज्य प्रबन्धक,

मुजाधि/वाणिज्य-174 पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ

गाड़ियों की छतों व पायदान पर कदापि यात्रा न करें

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय—श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) बस्ती जिला—बस्ती

मूलवाद संख्या—436 / 2026

सोमेशपति त्रिपाठी

बनाम

यदुनन्दन प्रसाद उपाध्याय आदि

1—यदुनन्दन प्रसाद उपाध्याय उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र संतराम उपाध्याय निवासी शंकर नगर रोड, गौरा / गनेशपुर, गढ़वल, गणेशपुर बस्ती, जनपद—बस्ती।

—प्रतिवादी प्रथम वर्ग

2—दिलेश्वरी हायर सेकेन्डरी स्कूल रुधौली कलां द्वारा प्रबन्धक शान्तनु सिंह उम्र लगभग 37 वर्ष पुत्र स्व० अमर कुमार सिंह साकिन—रुधौलीकलां, पोस्ट—रूद्र नगर, जनपद—बस्ती हालमुकाम फ्लैट नम्बर—एल 703, यमुना अपार्टमेन्ट, गोमती नगर विस्तार, गोमती नगर लखनऊ, जनपद— लखनऊ

—प्रतिवादी द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 26—11—2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 26 माह 11 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

—द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

अदालत— श्रीमान समक्ष मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण महोदय जिला—बस्ती

M.A.C.P.N0 17 / 2023

बलराम उर्फ विनोद

बनाम

चन्द्र प्रकाश सिंह आदि

1. चन्द्र प्रकाश सिंह पुत्र शिव मूरत सिंह निवासी ग्राम गिधनी, पोस्ट आफिस बभनान, थाना गौर, जनपद बस्ती (वाहन स्वामी ट्रक U.P.51 T—2021)

तारीख पेशी 19—10—2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 19 माह 10 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

—द0 हाकिम

आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित मत्स्यजीवी सहकारी समिति लिमिटेड ग्राम पंचायत परसा लगड़ा के नाम से समिति का गठन किया जाना है जिसका कार्य क्षेत्र ग्राम पंचायत परसा लगड़ा है, जो मछुआ समुदाय व अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के व्यक्ति सदस्य के रूप में समिति से जुड़ना चाहते हो वह ग्राम पंचायत परसा लगड़ा में स्थित पंचायत भवन पर अपना आवेदन दिनांक—26.10.2026 समय दोपहर 12 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है।

पुनीता देवी

पत्नी राजपाल गौड़

ग्राम पंचायत— परसा लगड़ा

पोस्ट— सिहारी सरदहा

तहसील—भानपुर

वि0 ख0—सल्टौआ गोपालपुर

जिला—बस्ती

मो0—9653498894

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी आनन्द प्रताप सिंह पुत्र श्री सतीश चन्द्र सिंह ग्राम—खोभा पोस्ट— महराजगंज जनपद बस्ती (उ.प्र.) का निवासी है। मेरा फार्मासिस्ट पंजीकरण संख्या 45435 का ग्रीन कार्ड वास्तव में खो गया है। यदि कोई इसका उपयोग करता है तो उसे अवैध माना जाय।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील

अदालत— श्रीमान जिला जज महोदय बस्ती जिला—बस्ती

प्रकीर्ण सिविल अपील सं0—45 / 2026

राजू आदि

बनाम

रामसजन आदि

1. रामसजन पुत्र स्व0 रामबली 2. श्रीमती रीता देवी पत्नी रामसजन 3. श्रीमती कौशिल्या पुत्री रामसजन 4. श्रीमती रीना पत्नी गोविन्द निवासीगण ग्राम माझाकला तप्पा कलवारी परगना नगर पूरव तहसील व जिला बस्ती

—रेस्पान्डेन्टियान प्रथम वर्ग

5. श्रीमती मीरा यादव पत्नी रामभेज यादव 6. रामभेज यादव पुत्र स्व0 रामदुलारे यादव निवासीगण ग्राम बहडीला तप्पा चरकैला परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती 7. भानुप्रताप सिंह वर्तमान प्रभारी अधिकारी थाना कलवारी जनपद बस्ती 8. पवन मौर्या हल्का दरोगा लफुतावाद वर्तमान प्रभारी अधिकारी पुलिस चौकी गांधीनगर थाना कोतवाली जिला बस्ती 9. अवधेश लाल श्रीवास्तव वर्तमान लेखपाल ग्राम माझाकला तप्पा कलवारी परगना नगर पूरव तहसील व जिला बस्ती

—रेस्पान्डेन्टियान द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 25—11—2026

अपील बनराजी अदालत मुकाम बस्ती

मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 25 महीना 11 सन 2026 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है। अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी।

आज बतारीख 16 माह 10 सन 2026 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5 व्या0प्र0 संहिता 1908)

मूलवाद संख्या 200 / 2024

न्यायालय— श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) स्थान—सिद्धार्थनगर जिला— सिद्धार्थनगर

अ0 सलाम

बनाम

बैंक आफ बड़ौदा आदि

2. गंगाराम वालिग पुत्र स्व0 दुर्बली निवासी ग्राम मसैचा तप्पा गोसियारी परगना मगहर पश्चिम तहसील बांसी जिला सिद्धार्थनगर

—प्रतिवादी द्वितीय पक्ष

तारीख पेशी— 23—11—2026

प्रतिवादी ने आपके विरूद्ध के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक **23—11—2026** को दिन में 10 बजे वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे अधिवक्ता प्लीडर द्वारा उप संजात हो सकते हैं। जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो बात से सम्बंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके न्यायालय में आपके उप संजात के लिये जो दिन नियत किया गया है वह इस वाद के अन्तिम निपटारे के लिये नियत दिन है। इसलिये आपको उस दिन अपने उन सब साक्षियों को या उन सब दस्तावेजों को पेश करने के लिये तैयार रहना चाहिये जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिये निर्भर रहना चाहते हैं।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि अगर ऊपर बतायी गयी तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज तारीख **17—10—2026** को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

न्यायाधीश

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील

अदालत— श्रीमान अपर आयुक्त (न्यायिक) बस्ती मण्डल बस्ती जिला—बस्ती

वाद सं0—C202617000000255

मो0 हसन

बनाम

इश्तियाक आदि

1. इश्तियाक पुत्र हैतुल्लाह साकिन सौरहा तप्पा पटना परगना बांसी पूरव तहसील मेंहदावल जिला संतकबीरनगर 2. ग्राम पंचायत सौरहा तप्पा पटना परगना बांसी पूरव तहसील मेंहदावल जिला संतकबीरनगर द्वारा प्रधान / अध्यक्ष 3. उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर सन्तकबीरनगर

तारीख पेशी 19—10—2026

अपील बनराजी अदालत मुकाम बस्ती

मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 19 महीना 10 सन 2026 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है। अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी।

आज बतारीख 17 माह 10 सन 2026 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)

वाद सं0— 792 / 2026

अदालत— श्रीमान अपर जिलाधिकारी महोदय बस्ती जिला—बस्ती

टीड़ी

बनाम

रामनयन

1. रामनयन पुत्र सोमई 2. बहरैची पुत्र कीया 3. रामजवाहिर पुत्र रामप्यारे साकिनान मौजा मदनपुरा तप्पा हरदी परगना बस्ती पश्चिम तहसील हर्रैया जिला बस्ती 4. भूमि प्रबन्धक समिति मदनपुरा द्वारा अध्यक्ष मौजा मदनपुरा तप्पा हरदी परगना बस्ती पश्चिम तहसील हर्रैया जिला बस्ती 5. सरकार उ0प्र0 द्वारा जिलाधिकारी बस्ती

तारीख पेशी 02—11—2026

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 02 माह 11 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फ़ैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 14 माह 10 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

— द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा

(आर्डर 22, कायदा 4)

न्यायालय—श्रीमान विशेष न्यायाधीश / भ्रष्टाचार निवारण अधि0 महोदय बस्ती जिला—बस्ती

प्रकीर्ण अपील सं0—48 / 2025

राजाराम आदि

बनाम

श्याम नरायन

1/1 ध्रुवचन्द्र उम्र 41 वर्ष 1/2 लवकुश उम्र 38 वर्ष 1/3 विजय राहुल उम्र 30 वर्ष पुत्रगण श्याम नरायन 1/4 सरिता उम्र 36 वर्ष 1/5 प्रियंका उम्र 26 वर्ष पुत्रीगण श्याम नरायन 1/6 मीना देवी उम्र 63 वर्ष पत्नी श्याम नरायन साकिनान मौजा परसावोधी तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला बस्ती

—रेस्पान्डेन्टस

तारीख पेशी 19—11—2026

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 19 माह 11 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा। बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

—द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)

वाद सं0— 1467 / 2026

अदालत— श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बस्ती जिला—बस्ती

रामकृष्ण

बनाम

सरकार

1. राम गोपाल 2. राम मिलन 3. जय कुमार पुत्रगण रामनाथ साकिनान मौजा बेलगड़ी तप्पा देवरांव परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला बस्ती 4. संगीता पत्नी रमेश 5. शारदा देवी पत्नी जगरनाथ साकिनान मौजा बेलगड़ी तप्पा देवरांव परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 28—10—2026

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 28 माह 10 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फ़ैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 14 माह 10 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

— द0 हाकिम

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)

(आर्डर 9 कायदा 4)

न्यायालय—श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद महोदय बस्ती जिला बस्ती

प्रकीर्णवाद सं0— 08 / 2024

विनय सिंह

बनाम

कृष्णचन्द्र सिंह

1. कृष्णचन्द्र सिंह आयु 43 साल पुत्र साधू सिंह निवासी ग्राम माड़न तप्पा कूढ़ा पोस्ट देवापार परगना नगर पूरव तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 03—12—2026

चूंकि उपरीनामांकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएवं आपके एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्भित करने के लिये 2026 के माह 12 के 03 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्र सहित आज सन 2026 के 10 माह 17 के दिवस को निकाली गयी।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील

अदालत— श्रीमान अपर आयुक्त (प्रशासन) बस्ती मण्डल बस्ती जिला—बस्ती

वाद सं0—C202517000000656

शान्ती भूषण वर्मा उर्फ मोनू

बनाम

मेलाहे आदि

1. मेलाहे पुत्र लखपत साकिन धनधरा तप्पा बुद्धि तहसील इटवा जिला सिद्धार्थनगर 2. ग्राम पंचायत धनधरा तप्पा बुद्धि तहसील इटवा जिला सिद्धार्थनगर द्वारा प्रधान / अध्यक्ष 3. सरकार उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर सिद्धार्थनगर

तारीख पेशी 05—11—2026

अपील बनराजी अदालत मुकाम बस्ती

मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 05 महीना 11 सन 2026 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है। अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी।

आज बतारीख 17 माह 10 सन 2026 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय—श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) बस्ती जिला—बस्ती

वाद सं0—100 / 2026

शशांक सिंह

बनाम

विनोद कुमार

1. विनोद कुमार पुत्र गौरीशंकर साकिन गोटवा तप्पा गनेशपुर परगना नगर पूरव पो0 कटया तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 16—11—2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 16 माह 11 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

—द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)

वाद सं0— / 2026

धारा 9क (2) जो0च0अधि0

अदालत— श्रीमान चकबन्दी अधिकारी हर्रैया महोदय बस्ती जिला—बस्ती

रामअजोर

बनाम

चन्द्र प्रकाश आदि

1—चन्द्र प्रकाश 2— सुनील कुमार 3— भईया लाल पुत्रगण झिनकान उर्फ श्याम नरायन 4— चन्द्रावती पत्नी झिनकान उर्फ श्याम नरायन 5— कुंज बिहारी 6— कन्हैया 7— अजुर बिहारी पुत्रगण— देवदत्त

—प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग

8— राम किशोर 9— छोटे लाल पुत्रगण— बल्लुर 10— प्रदीप कुमार 11— संदीप कुमार पुत्रगण— राधेश्याम 12— मालती देवी पत्नी राधेश्याम निवासीगण ग्राम—गनवरिया खुर्द, तप्पा—रुधौली, परगना—मगहर पश्चिम, तहसील—रुधौली, जिला—बस्ती 13— सरकार उ०प्र०

तारीख पेशी 05—11—2026

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 05 माह 11 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फ़ैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

— द0 हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती

संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1—4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक—**दिनेश सिंह**

संयुक्त सम्पादक—**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**

अयोध्या—फैजाबाद कार्यालय—
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या—फैजाबाद

लखनऊ कार्यालय—
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।

गोरखपुर कार्यालय—
इलाहीबाग गोरखपुर।

मो0 9336715406, 8400925463

ई.मेल **bhartiyabasti@gmail.com**
dainikbhartiyabasti@gmail.com